(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1957–एक/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 16–8–2005 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 150/1994–95 अपील

घनश्याम पाठक पुत्र गुलाब चंद पाठक
ग्राम राई, परगना कोलारस,जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्ध

1– मान सिंह पुत्र नारायण
2– सीताराम पुत्र नारायण
दोनों निवासी ग्राम बेहटरा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी , मध्य प्रदेश -- अनावेदकगण

(श्री डी0एस0चौहान अभिभाषक – आवेदक)
(श्री राजीव गौतम अभिभाषक – अनावेदकगण)

आ दे श
(दिनांक 08 दिसम्बर, 2015)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 150/1994–95 अपील में पारित आदेश दि. 16–08–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बेहटरा स्थित आराजी कमांक 2 रकबा 0.64 एंव 266 रकबा 2.89 हैक्टर पर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक ने पटवारी हलका नंबर 18 तहसील कोलारस से

नामान्तरण की मांग की। पटवारी व्दारा इस्तहार जारी करने पर आपत्ति आने से मामला विवादित होने के कारण तहसील न्यायालय को हस्तांतरित हुआ, जिस पर से तहसीलदार कोलारस ने प्रकरण कमांक 2/1989-90 अ-6 पंजीबद्ध किया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 15-1-1994 पारित किया तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कोलारस के प्रकरण कमांक 26 ए/92 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 10.10.1992 के आधार पर आवेदक का कय की भूमि पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष अपील कमांक 33/1993-94 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 20-1-1995 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील कमांक 150/1994-95 प्रस्तुत होने पर पारित आदेश दिनांक 16-08-2005 से अपील ऑशिकरूप से स्वीकार कर तहसीलदार कोलारस का आदेश दिनांक 15-1-94 तथा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस का आदेश दिनांक 20-1-95 निरस्त किये गये तथा प्रकरण मान0 अपर जिला न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18-3-2005 के कम में कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 16-8-2005 में जिन आधारों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी कोलारस एंव तहसीलदार कोलारस के आदेशों को निरस्त किया है उनके व्दारा आदेश दिनांक 16-8-2005 में दिये गये निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि व्यवहार न्यायाधीश के आदेश दिनांक 10.10.1992 को अति0 जिला एंव सत्र न्यायाधीश व्दारा आदेश दिनांक 18-3-2005 से निरस्त करने का आधार लिया है जबकि अति0

जिला एंव सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18-3-2005 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में द्वित्तीय अपील कमांक 444/05 प्रस्तुत हुई है एंव आदेश दिनांक 8-4-2005 से स्थगन आदेश जारी हुआ है इसी आधार पर उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदकगण के अभिभाषक ने इसका विरोध कर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कोलारस के प्रकरण कमांक 26 ए/92 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 10.10.1992 के आधार पर तहसीलदार कोलारस ने आदेश दिनांक 15-1-1994 से नामान्तरण किया है जबकि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कोलारस का आदेश दिनांक 10.10.1992 अति0 जिला एंव सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18-3-2005 से निरस्त हुआ है और इसी आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 150/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-08-2005 से अनुविभागीय अधिकारी कोलारस का आदेश दिनांक 20-1-1995 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-1-1994 निरस्त करके प्रकरण अति0 जिला एंव सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18-3-2005 अनुसार कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया है। माननीय उच्च न्यायालय से आदेश दिनांक 17-6-2014 को द्वित्तीय अपील कमांक 444/05 निरस्त होना अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताते हुये आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की है। वैसे भी तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस पहुंचने पर आवेदक को एंव अनावेदकगण को बचाव प्रस्तुत करने एंव लेखी/ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त रहेगा, जहॉ पर अनावेदक माननीय उच्च न्यायालय व्दारा दिये गये आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकते हैं । माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 17-6-2014 को होना बताया गया है एंव अपर आयुक्त का

विचाराधीन आदेश 16-8-2005 का है। विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 150/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-08-2005 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकरण किया जाता है कि अपर आयुक्त के विचाराधीन आदेश के तारतम्य में कार्यवाही करते हुये विचारण न्यायालय उभय पक्षों व्दारा प्रस्तुत अद्धतन न्यायालयीन निर्णयों का सुचारू-रूप से अध्य्यन कर प्रकरण का गुणदोषों के आधार पर निराकरण करें।

(डॉ0मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर